न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 49/2019

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. सीता देवी पत्नि मुखत्यार चन्द जाति खत्री निवासी मकान नम्बर 2018 वार्ड नम्बर 5 दशमेश नगर जलालाबाद तहसील जलालाबाद जिला फाज्लिका पंजाब	1. गुरबक्श लाल पुत्र कवरसेन खत्री निवासी वार्ड नम्बर 1 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर 2. हरबक्श लाल पुत्र कवरसेन खत्री निवासी वार्ड नम्बर 1 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर 3. बलविन्द्र कुमार पुत्र कवरसेन खत्री निवासी वार्ड नम्बर 1 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर 4. कमला पुत्री कवरसेन पत्नि अशोक कुमार खत्री निवासी गुरूद्वारा अमरदास के नजदीक जवाहर नगर श्रीगंगानगर 5. प्रमीला पुत्री कवरसेन पत्नि सुरेन्द्र कुमार खत्री निवासी खेतरपाल मन्दिर के नजदीक उदाराम चौक श्रीगंगागनर 6. निर्मला पुत्री कवरसेन पत्नि इन्द्रजीत खत्री निवासी थरेजा मेडिकल स्टोर के पास, ओवरब्रिज के पास हनुमानगढ टाउन 7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 09.08.2019

उपस्थित: 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
3.श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ता 6

--निर्णय-- दिनांक: 21/01/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के पिता कवंरसैन की दिनांक 26.10.1997 को मृ[illegible] है, व माता कौशल्या देवी उर्फ राजरानी की दिनांक 29.09.2018 को मृत्यु हो चुकी [illegible] और [illegible] अन्य भाई राजीव कुमार था जिसकी मृत्यू दिनाक 20.10.2015 को हो चुकी है, [illegible] लाऔलाद फौत हुआ है। प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के पिता [illegible] के नाम [illegible] एस की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 19 के [illegible] नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.197 हैक्टर भूमि में से 2.066 हैक्टर व चक 6 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 10/10 के मुरब्बा नम्बर 2 की 0.633 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:27 IST
Reason: SelfAttested

21/01/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

रिकॉर्ड में दर्ज है। कंवरसैन की मृत्यू के बाद उक्त भूमि अब प्रार्थिया व अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार बराबर-बराबर न्यायगत हो चुकी है। उपरोक्त भूमि में वादिया का अन्य अप्रार्थीगण के साथ 1/7 हिस्सा यानि 0.386 हिस्सा कानूनन बनता है। प्रार्थिया अपने 1/7 हिस्सा भूमि पर आज तक लगातार शांतिपूर्वक काबज काश्त चली आ रही है। प्रार्थिया ने कई बार अप्रार्थीगण से मिलकर कहा कि उपर्युक्त भूमि अपने-अपने हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लेते है, तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 कहने लगे कि हमने उपर्युक्त भूमि के फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बना रखे है, जिनकी आड में हम शीघ्र ही उपर्युक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा लेगें व तुम्हें तुम्हारी हिस्सा की भूमि से महरूम कर देगे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थिया को ना पुरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थिया जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को रोक पाने की अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थिया के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि मृतक कंवरसैन के नाम दर्ज [illegible] श्रीकरणपुर के चक 9 एस की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.197 हैक्टर भूमि में से 2.066 हैक्टर व [illegible] डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 10/10 के मुरब्बा [illegible] की [illegible]33 हैक्टर भूमि कुल क्षेत्रफल 2.699 हैक्टर भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने से बा[illegible]हें, व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि स्वर्गीय कंवरसैन के नाम दोनो चको में वर्णित कुल 2.699 हैक्टर भूमि का संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने, स्व. कवर सैन के निर्वसीयत फौत होने अथवा स्व. कवर सैन के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि में प्रार्थिया अथवा अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 को न्यायगत हो जाने के कथन सरासर गलत अंकित किए गए होने से स्वीकार नहीं है। इस भूमि में प्रार्थिया अथावा अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 का 1/7 हिस्सा बनने, प्रार्थिया का उक्त कथित 1/7 हिस्सा पर कब्जा होने के कथन सरासर गलत अंकित किये गये है जो स्वीकार नहीं है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि स्व. कंवर सैन के नाम दर्ज उक्त वादाधीन भूमि उनकी स्व-अर्जित सम्पति थी। यह भूमि स्व0 कंवरसैन द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 12.09.1995 को जरिये वसीयत अप्रार्थीगण 1 ता 3 को अन्तरित कर दी थी। स्व. कंवरसैन के देहान्त उपरान्त यह भूमि उक्त वसीयत के माध्यम से अप्रार्थीगण 1 ता 3 को प्राप्त हो चुकी है। तथा हम अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस भूमि में प्रार्थिया व अप्रार्थीगण 4 ता 6 का कोई हक अथवा हिस्सा नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अस्वीकार कर भारी हर्जाना सहित खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार यह कथन गलत है कि उक्त भूमि में प्रार्थिया व हम अप्रार्थीगण 4 ता 6 का 1/7 हिस्सा है व 1/7 हिस्सा पर काबिज है। वास्तविक कथन इस प्रकार है कि स्व. कंवरसैन के नाम दर्ज उक्त वादाधीन भूमि उनकी स्व-अर्जित सम्पति थी। यह भूमि स्व. कंवरसैन द्वारा अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत दिनांक 12.09.1995 हमारे भाईयों अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को अन्तरित कर दी थी। स्व. कंवरसैन के देहान्त उपरान्त यह भूमि उनकी वसीयत के माध्यम से हमारे भाईयों को प्राप्त हो चुकी है। इस भूमि में प्रार्थिया अथवा हम अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 का कोई हक अथवा हिस्सा नहीं है। इस जमीन पर अप्रार्थीगण संख्या

27/01/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:27 IST
Reason: SelfAttested

सीता देवी बनाम गुरबक्शलाल आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 49/2019

1 ता 3 की कब्जा काश्त चला आ रहा है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अस्वीकार कर भारी हर्जाना सहित खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस विस्तारपूर्वक सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निम्न न्यायिक नजीरों को पेश किया।

1. 2011(1) RRT 212
2. 2015(2) RRT 1445
3. 2014-15(Supp-) RRT 96
4. 2014(1) RRT 519

हमने उपर्युक्त न्यायिक नजीरों का सम्मानपूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करके, मार्गदर्शी सिद्वान्तो के रूप में उपयोग किया।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया (अधि.) द्वारा कथन किये गये कि कंवरसेन के नाम दर्ज 2.699 हैक्टर भूमि, उनके पिता की पैतृक आराजी है जिनकी दिनांक 26.10.1997 को मृत्यू हो चुकी है। प्रार्थिया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 उनके वारिसान है। अतः प्रार्थिया द्वारा अपने 1/7 हिस्से की आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा हाजा न्यायालय में जेरकार है। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना मे कथन किये गये है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा उक्त भूमि के फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेज बना रखे है। जिनकी आड में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेगें। उक्त कथन के पक्ष में प्रार्थिया द्वारा उन फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेज की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के जवाब प्रार्थना पत्र में इन्होंने स्वीकार किया है कि प्रार्थीया उनकी सगी बहन है। अपर्थी स.1 ता 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में तथा दौराने बहस यह कथन किया कि उक्त आराजी कंवरसेन की स्वअर्जित आराजी है जिसका उसने दिनांक 12.09.1995 को वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में की है। अधि. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने दौराने बहस चित्र प्रतिलिपि वसीयत 12.09.1995 पेश की जिसे सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 जो कि प्रार्थिया तथा अप्रार्थीगण 1 ता 3 की सगी बहनें है। उन्होंने जरिये वकील अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और कथन किये कि 2.699 हैक्टर आराजी कंवरसेन की स्व अर्जित आराजी है जिसमें हमारा कोई हक हिस्सा नहीं है। हमने उपर्युक्त प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्रों, फेहरिश्त दस्तावेजों एंव विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सना। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा यह कथन किये है कि आराजी पैतृक पुश्तैनी है लेकिन प्रार्थिया द्वारा इस संबध में केवल चालू जमाबन्दी ही पेश की है। जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं हो रहा है कि आराजी पैतृक है या नहीं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थिया द्वारा पैतृक आराजी के संबध में केवल प्रार्थना पत्र में कथन किये इस हेतु किसी प्रकार के ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किये है कि जिन्हे देखने मात्र से ही यह प्रतीत हो कि आराजी पैतृक पुश्तैनी है। लिहाजा हमारा यह विनम्र विनिश्चय है कि प्रार्थिया प्रथम दृष्टया मामला को अपने पक्ष में करने में पूर्णतः असफल रही है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी । प्रार्थना पत्र के आलोक में अपने पक्ष में सुविधा का

21/01/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:27 IST
Reason: SelfAttested

संतुलन बनाने के लिए प्रार्थिया द्वारा किसी प्रकार के ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किये है जिन्हें देखने मात्र से ही यह लगे कि सुविधा का अधिकतम संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में हो। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि बिन्दू संख्या 01 प्रथम दृष्टया मामला तथा बिन्दू संख्या 02 सुविधा का संतुलन प्रार्थिया/वादिया के विरूद्व साबित हो चुके है, साथ ही प्रार्थिया द्वारा केवल मात्र पैतृक आराजी के कथन किये है इसके साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह लगे कि प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः केवल मात्र प्रार्थना पत्र में कथन कर देने मात्र से अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं सकता।

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थिया/वादिया के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित नहीं होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार/खारिज किया जाना विधि संगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया/वादिया अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

21/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

21/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:27 IST
Reason: SelfAttested